



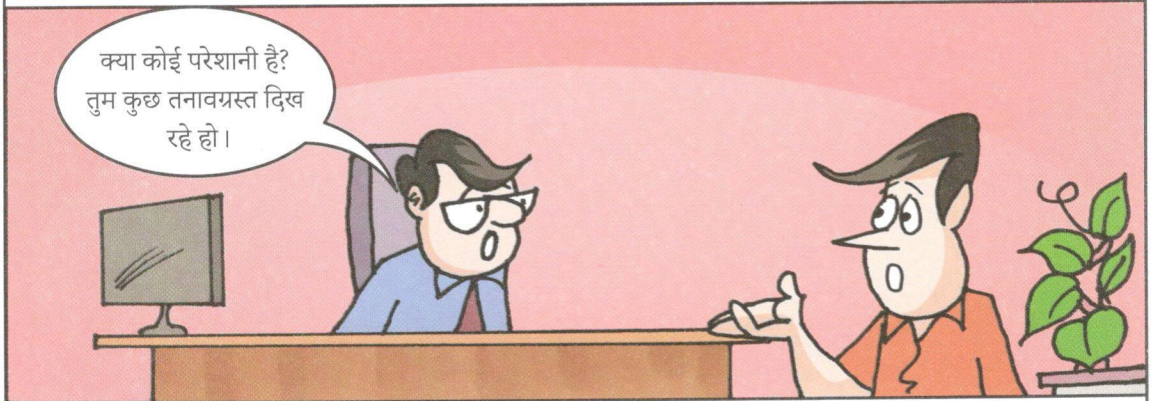
सार्वजनिक खरीद



भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत
 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022
 केन्द्रीय सतर्कता आयोग

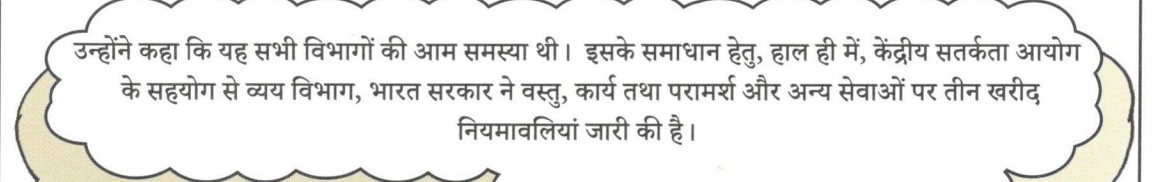
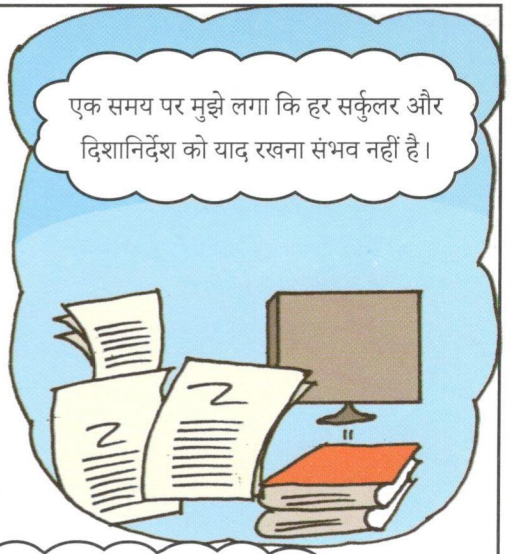


सार्वजनिक खरीद

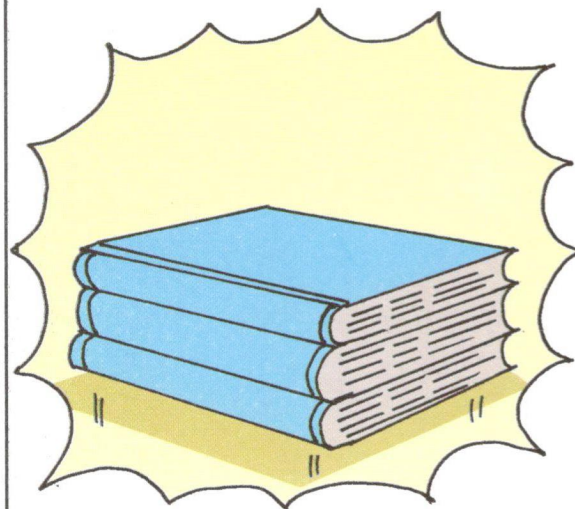








ये तीनों नियमावलियां अब
भारत सरकार के तहत सभी सार्वजनिक खरीद
के लिए एक सामान्य सन्दर्भ के रूप में
कार्य करेंगी।



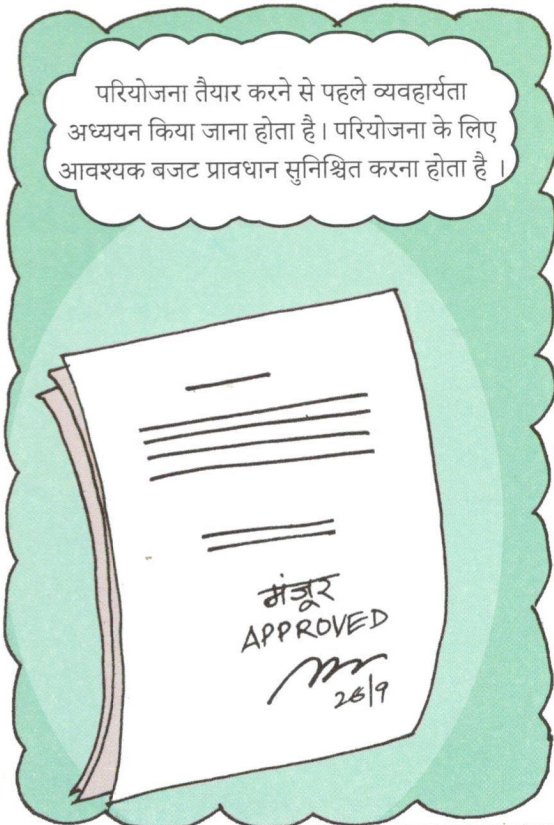
ये तीनों नियमावलियां
केंद्रीय सतर्कता आयोग और
व्यय विभाग की वेबसाइट
पर भी उपलब्ध है।



पंकज ने टेंडर प्रक्रिया के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की।



परियोजना तैयार करने से पहले व्यवहार्यता
अध्ययन किया जाना होता है। परियोजना के लिए
आवश्यक बजट प्रावधान सुनिश्चित करना होता है।



इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए।

सक्षम अधिकारी



किसी अपरिहार्य स्थिति में अतिरिक्त व्यय या परियोजना के दायरे में परिवर्तन हेतु, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन होना आवश्यक है। इसके अलावा बोलियों का मूल्यांकन अधिसूचित मानदंडों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।



ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान एक प्रभावी निविदा डॉक्यूमेंट तैयार करने में रखा जाना चाहिए। मैं और जानने के लिए जिज्ञासु हूँ।

ज़रूर।



उन्होंने चर्चा जारी रखी।

लागत अनुमान तैयार करते समय उचित डॉक्यूमेंट के साथ समर्थित दर का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए।

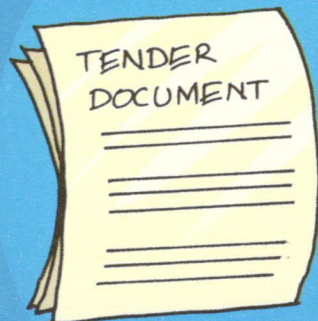


पूर्ण निविदा डॉक्यूमेंट, जिसमें अनुबंध की सामान्य / विशेष शर्तें, विनिर्देश, माता का बिल आदि शामिल होते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

सक्षम अधिकारी



सरकार/संगठन के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों को निविदा डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए।



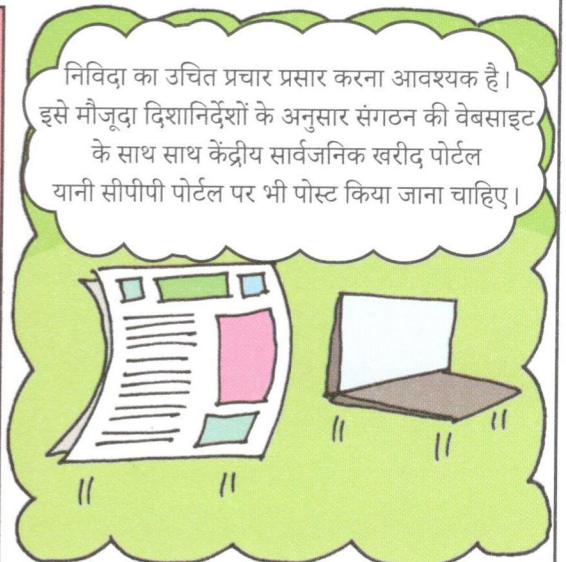
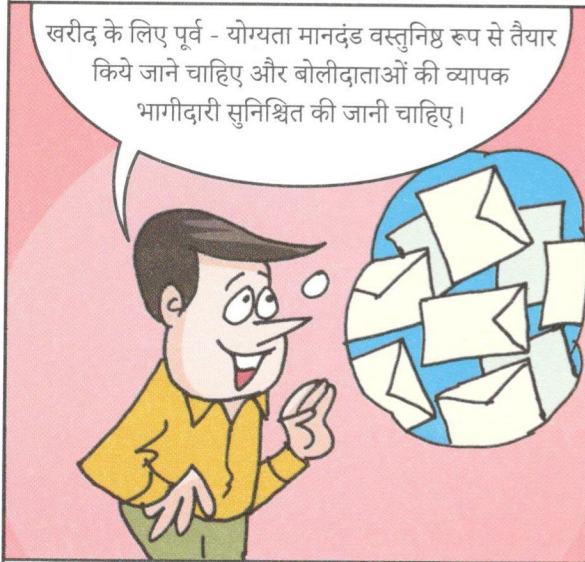
निविदा डॉक्यूमेंट में उल्लेखित निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। साथ ही निविदा आमंत्रण सूचना यानी एनआईटी में निविदा प्राप्ति स्थान को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

ठीक है।



वाणिज्यिक बैंक की बैंक गारंटी ही स्वीकार की जानी चाहिए।

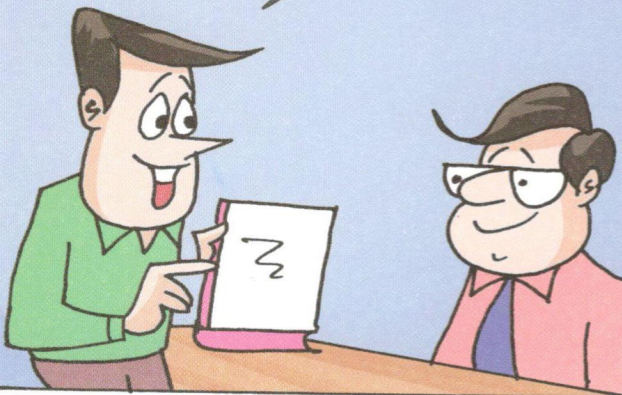






अगले दिन

अंत में, प्रबंधन द्वारा अनुमोदित इंटिग्रेटी पैकट के प्रावधान को निविदा डॉक्यूमेंट / अनुबंधों में शामिल किया जाना चाहिए।



सच में यह प्रशिक्षण काफी उपयोगी रहा।



10 दिनों के बाद

सर, यह ड्राफ्ट निविदा है।



धन्यवाद सर। यह केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्राप्त जानकारी के कारण ही संभव हुआ। इसके अलावा वस्तु, कार्य तथा परामर्श और अन्य सेवाओं पर खरीद नियमावलियों की मदद से, मैं यह सुनिश्चित कर पाया कि सभी आवश्यक बिंदुओं को निविदा में विधिवत कवर किया जाये।

ये तो कमाल है पंकज, तुमने बहुत अच्छा काम किया है।



सार्वजनिक खरीद

- सरकारी निकाय अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की खरीद पर खर्च करते हैं।
- ये खरीद निविदा प्रणाली की पारदर्शी, एक समान, व्यवस्थित और लागत प्रभावी प्रक्रियाओं का पालन करके की जाती हैं।
- ये प्रक्रियाएं सार्वजनिक खरीद हेतु सरकार के निर्देशों और दिशानिर्देशों के रूप में हैं।
- इस संबंध में व्यापक नियम और विनियम "सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017" में उल्लेखित किए गए हैं।
- इसके अलावा, व्यय विभाग भारत सरकार ने वस्तुओं, कार्यों और परामर्श तथा अन्य सेवाओं की खरीद के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं पर तीन नियमावलियां तैयार की हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए सभी खरीद संबंधी निर्देशों को इन नियमावलियों में समाहित कर दिया गया है।
- ये नियमावलियां व्यय विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट पर (<https://doe.gov.in> एवं <https://cvc.gov.in>) पर उपलब्ध है।
- सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी खरीद नियमावली को व्यय विभाग की नियमावलियों के अनुरूप करें।
- सरकारी निकायों द्वारा सार्वजनिक खरीद पर अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित/अद्यतन करने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।



केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली - 110023

www.cvc.gov.in

यूनियन बैंक
अपने प्रतिभे

Union Bank
of India



के सहयोग से प्रकाशित

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुद्रित